

26-12-12

1

16/11/15

फर्द अहकाम

अज अदालत - सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी मुकाम- भीनमाल

वादी/प्रार्थी	बनाम	प्रतिवादी/अप्रार्थी
मुष्ता देवी श्री० गोमा उर्फ गोमाजी जाति घांची पैगुक निवासी भीनमाल	व/स	गोमा उर्फ गोमाजी श्री० अठदा उर्फ अन्दोजी जाति बांची नि० भीनमाल

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत घारा 212 रा० का० अ० बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा  
 किस मुकदमा 50/2012 प्रकरण संख्या 50/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-8-12	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नन्दपालसिंह देवड़ा, रमेश कुलकर्णी, हरीशचन्द्रसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 212 रा० का० अ० बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया जो रजिस्ट्रार हैं। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस मलब हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/8/12 को पेश हों।	
27/8/12	वकुलाय फरीकन उपस्थित। अप्रार्थी सं 1 व 2 के नोटिस तामिल अद्यता जदम तामिल प्राप्त नहीं हुए हैं। श्रीमान AC साहब अवकाश में बिराजते हैं। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दि० 12/9/12 को पेश हों।	
12/9/12	वकुलाय फरीकन उपस्थित। श्रीमान AC साहब दौर में बिराजते हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दि० 19-9-12 पेश हो।	नोटिस 1182 12-9-12
19-9-12	वकुलाय फरीकन उपस्थित। श्रीमान AC साहब का पद रिक्त होने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दि० 13/10/12 को पेश हो।	
18-10-12	वकुलाय फरीकन हाजिर। श्रीमान AC साहब का पद रिक्त होने से पत्रावली दि० 30/10/12 को पेश हो।	
30/10/12	वकुलाय फरीकन उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि मद्रास्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है जो पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीय के दादा व अप्रार्थी के पिता स्व० अठदा उर्फ अठदा के नाम थी। प्रार्थीया अप्रार्थी की जायन्दा संतान है। प्रार्थीया के माता का निधन हो चुका है। प्रार्थीया अपने माता पिता की बकलौती संतान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अपने पिता की सम्पत्ति व पुश्तैनी सम्पत्ति में बराबर का हक रखती है। अतः अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने बाबत जारी फरमायी जावे। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण अधिवक्ता को हुना गया। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आगामी तारीख	

3.1.18 ~~वकुलाय फरीकेन हाजिर।~~  
~~वकुलाय जफ्त बख्त हेतु अवसर दिये~~  
~~है एक आन्तम अवसर दिया जाता है~~  
~~मिथिल तारीख 18.1.18 को पेश हो~~

18.1.18 ~~वकुलाय फरीकेन हाजिर।~~  
~~आज 4 एला देते में पधारते हुए है मिथिल~~  
~~तारीख 25.1.18 को पेश हो~~

25.1.18 ~~वकुलाय फरीकेन हाजिर।~~  
~~वकुलाय जफ्त बख्त हेतु अवसर~~  
~~घाटे है अवसर दिया जाता है मिथिल~~  
~~तारीख 8/2/18 को पेश हो~~

8/2/18 ~~वकुलाय फरीकेन हाजिर।~~  
~~वकुलाय जफ्त बख्त हेतु अवसर~~  
~~घाटे है आन्तम अवसर दिया जाता~~  
~~है मिथिल तारीख 19/2/18 को पेश हो~~  
~~मिथिल नियत तारीख पेशी दिनांक~~  
~~19/2/18 को पेश हो~~

19/2/18 ~~वकाफती आज पेश हुई।~~  
~~जफ्त मय अधिवक्ता गैर हाजिर। जफ्त~~  
~~मय जफ्त अधिवक्ता को बकदक करती~~  
~~एव आवाज लगवाउ मगर उपास्थित रही~~  
~~हुये हतः जफ्त का जफ्त पत्र अख्त~~  
~~निषेधाज्ञा का अडम पेशी एव अख्त~~  
~~हाजरी में खारिज किया जाता है~~  
~~मिथिल केवम कुमार एव नमक है~~  
~~हो।~~

सहायक कलेक्टर  
भोनामाल